



महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक:रू.वि./गोप./प्रयो.मौ./2017/

दिनांक:- 09 अगस्त, 2017

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
एम.जे.पी.रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

विषय:- स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में सेवारत शिक्षकों के सम्बन्ध में सूचना।

महोदय/महोदया,

“परीक्षा समिति” की समय-समय पर आयोजित बैठकों में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में नियुक्त ऐसे शिक्षकों जो इस विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित हों, अनुमोदनोपरान्त निरन्तर पाँच वर्षों से अध्यापन कार्य कर रहे हों, बैंक के माध्यम से कम से कम विगत 12 माह से वेतन भुगतान हो रहा हो-को भी आन्तरिक परीक्षकत्व दिये जाने का निर्णय लिया जा चुका है।

- “परीक्षा समिति” की बैठक दिनांक 22 अप्रैल, 2015 में सत्र 2015-16 हेतु लिया गया निर्णय निम्नवत् है-
1. स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों को केवल अपने ही महाविद्यालयों में आन्तरिक परीक्षक बनाया जाय।
 2. जो शिक्षक जिस पाठ्यक्रम के लिये अनुमोदित है उसे उसी पाठ्यक्रम (स्नातक/स्नातकोत्तर) हेतु आन्तरिक परीक्षक बनाया जाय।
 3. महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम के शिक्षकों का विश्वविद्यालय से अनुमोदन न होने तथा निर्धारित मानक पूर्ण न करने पर अनुदानित तथा राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को आन्तरिक परीक्षक बनाया जाय।
 4. यह नियम राशी संकायों के स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों पर लागू होंगे।
 5. मौखिकी/प्रयोगात्मक परीक्षाओं के आन्तरिक परीक्षक बनाये जाने के सम्बन्ध में उक्त नियम समान रूप से लागू होंगे।


“परीक्षा समिति” की बैठक दिनांक 14.06.2017 के क्रमांक 19 पर निर्णय लिया गया कि गृहविज्ञान बी.ए./बी.एस-सी. की प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु विश्वविद्यालय अनुमोदन के उपरान्त अध्यापन करते हुए 03 वर्ष अथवा उससे अधिक समय हो गया हो तथा परास्नातक स्तर पर 05 वर्ष अथवा उससे अधिक समय अध्यापन करते हुए हो गया हो तथा बैंक के माध्यम से कम से कम विगत 12 माह से वेतन भुगतान हो रहा हो, ऐसे शिक्षकों को उसी महाविद्यालय में आन्तरिक परीक्षक बनाया जा सकता है।

कृपया उपर्युक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में सेवारत अनुमोदित अर्ह शिक्षकों की प्रमाणित सूची निम्नांकित प्रारूप पर इस विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत अनुमोदन पत्र, अनुमोदित शिक्षक के रूप में अध्यापन अनुभव का प्रमाण पत्र, बैंक के माध्यम से विगत 12 माह से वेतन भुगतान के प्रमाण सहित दिनांक-14.09.2017 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में नियुक्त अनुमोदित अर्ह शिक्षकों को उत्तरपुस्तिकाओं के केन्द्रीय मूल्यांकन 2018/प्रयोगात्मक परीक्षा-2018 हेतु मानकानुसार आमंत्रित किया जा सके-

प्रारूप

| विषय | अनुमोदित शिक्षक का नाम | इस विश्वविद्यालय में अनुमोदन की तिथि | नियुक्ति की तिथि | अनुमोदन स्नातक/स्नातकोत्तर किस पाठ्यक्रम हेतु हैं। | मोबाइल नम्बर एवं ई.मेल आई.डी. (अवश्य अंकित किया जाये) |
|------|------------------------|--------------------------------------|------------------|--|--|
|------|------------------------|--------------------------------------|------------------|--|--|

भवदीय


(महेश कुमार)
परीक्षा नियंत्रक